15/3/22 आज हम दौरे ... में व्यस्त है। अतः इत्तला होकर पत्रावली आइन्दा 26/4/22 को पेश हो।

26/4/22 पत्रावली आज पेश हुयी वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी विपक्षीगण के समक्ष रजि० डाक द्वारा भेजने का एक और अवसर चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि० 24.05.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

24/05/22 पत्रावली आज पेश हुयी वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी विपक्षीगण के समक्ष रजि० डाक द्वारा भेजने का एक और अवसर चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जा चुका है न्यायहित में एक और अंतिम अवसर दिया जाता है पत्रावली दि० 30/06/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

30/06/22 पत्रावली आज कैम्प गुडामालानी पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी पुनः एक और अंतिम अवसर चाहते हैं। प्रार्थी को हिदायत हो कि वकील से पूर्व विपक्षीगण को नोटिस के समक्ष रजि० डाक द्वारा भेजकर रसीदें नोटिस तामील की पेश करें। पत्रावली 14/7/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

14/7/22 पत्रावली आज पेश हुयी वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा उक्त [illegible] करवाने के बाद लगातार [illegible] की तलबी पूर्ण नहीं करवाई है [illegible] विपक्षीगण के उक्त [illegible] तलबी के आदेश 9 नियम 5 CPC के तहत खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:32 IST
Reason: SelfAttested

"श्री" 17/9/19

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) महोदय,
उपखण्ड – गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

प्रार्थी :–

1. वीराराम पुत्र हरींगाराम उम्र 65 वर्ष कौम विश्नोई साकिन उदाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. बागाराम वल्द हरींगाराम कौम विश्नोई साकिन उदाणियों की ढाणी
2. भाणाराम वल्द हरींगाराम कौम विश्नोई साकिन बाण्ड
3. उकरड़ा वल्द वगता कौम मेगवंशी साकिन उदाणियों की ढाणी
4. देरामा वल्द भीखा
5. विशना वल्द भीखा
6. चेतन वल्द भीखा
7. दिनेश वल्द भीखा
8. सुआ पत्नी भीखा
9. हरू वल्द अचला
10. चूना वल्द खुमा
11. पूंजा वल्द खुमा
12. कृष्णराम वल्द गजाराम कौम मेगवंशी साकिन उदाणियों की ढाणी
13. शंकरराम वल्द मांगाराम
14. बाबूराम वल्द मांगाराम
15. जेठी पत्नी मांगाराम कौम [illegible] साकिन उदाणियों की ढाणी ग्राम पंचायत डाब[illegible] जिला बाड़मेर।
16. तहसीलदार गु[illegible] बाड़मेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

त प्रार्थी का निम्न प्रकार से है कि :–

1. यह कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि तहसील गुड़ामालानी के पटवार मण्डल मौखावा के ग्राम उदाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1335/3, 1339/2 रकबा क्रमशः 44–02, 5–04 बीघा किस्म बारानी सोयम, बारानी सोयम की आयी हुई है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा–काश्त हैं, तथा प्रार्थी की बाड़े, टांके आदि बने हुए है। नकल वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा साथ संलग्न है।

2. यह कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के सेढा–सेढ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है। तथा विप्रार्थीगण हमेशा प्रार्थी की भूमि का जबरन सेढा तोड़कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। तथा हर समय झगड़ा होने की आशंका रहती है।

3. यह कि प्रार्थी हमेशा के लिए [illegible] विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखम[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:32 IST
Reason: SelfAttested